।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 26.11.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 26.11.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री पी.रामजी, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य सचिव
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के निर्णय की पालना में 04 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

| बंदी का नाम मय पिता | निरूद्ध कारागृह | याचिका संख्या | निर्णय दिनांक | प्राप्ति दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| जितेन्द्र मीणा उर्फ जीतू पुत्र रामलाल मीणा | के.का.जयपुर | 502/2025 | 11.11.2025 | 19.11.2025 |
| रामस्वरूप उर्फ राधेश्याम उर्फ कैलाश उर्फ प्रहलाद पुत्र भूराराम उर्फ रामकरण | वि.के.का. श्यालावास | 1239/2025 | 12.11.2025 | 20.11.2025 |
| पदम सिंह उर्फ पप्पी पुत्र रामसिंह | के.का.कोटा | 529/2024 | 18.11.2025 | 24.11.2025 |
| डालचन्द उर्फ बबलू पुत्र रामसिंह | के.का.कोटा | 523/2024 | 18.11.2025 | 24.11.2025 |

**स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-**

**1. दण्डित बंदी जितेन्द्र मीणा उर्फ जीतू पुत्र रामलाल मीणा, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर:-**

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 09 जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा प्रकरण संख्या 217/2019 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी., 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 29.09.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 502/2025 जितेन्द्र बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 11.11.2025 से प्रतिपादित किया है कि " Counsel for the petitioner apprised this Court that after re-shifting of the petitioner from the Open Air Camp to the Centra Jail, he was granted the benefit of regular parole of 20 days and there after he remained on parole for the aforesaid period and surrendered before the Jail Authorities. Even during that period also, no untoward incident has occurred which would decline the petitioner's prayer for getting him shifted to the Open Air Camp.Considering the above facts of the case, the instant criminal writ petition stands allowed and the respondents are directed to pass an appropriate order for shifting the petitioner from the Central Jail, Dausa to the Open Air Camp." के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 10 वर्ष 05 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अत: माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी जितेन्द्र मीणा उर्फ जीतू पुत्र रामलाल मीणा** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

**2. दण्डित बंदी रामस्वरूप उर्फ राधेश्याम उर्फ कैलाश उर्फ प्रहलाद पुत्र भूराराम उर्फ रामकरण, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास:-**

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 52/2017 अंतर्गत धारा 302,394/34 आई.पी.सी. में दिनांक 18.05.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी प्रतिबन्धित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1239/2025 रामस्वरूप बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय

न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 12.11.2025 से प्रतिपादित किया है कि " Considering the arguments put forward by the learned Public Prosecutor and looking to the fact that the successive application submitted by the petitioner with regard to the same prayer, which has been made before this Court by way of filing this petition, is pending before the Advisory Committee, this Court deems it just and proper to dispose of the instant petition with directions to the Advisory Committee to decide the pending application expeditiously, as early as possible, preferably within a period of two months from the date of receipt of certified copy of this order. With the aforesaid observations/directions, the instant criminal writ petition stands disposed of. The stay application and all pending applications, if any, also stand disposed of. " के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 09 वर्ष 03 माह दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी रामस्वरूप उर्फ राधेश्याम उर्फ कैलाश उर्फ प्रहलाद पुत्र भूराराम उर्फ रामकरण** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

**अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-**

**1.दण्डित बंदी पदम सिंह उर्फ पप्पी पुत्र रामसिंह, केन्द्रीय कारागृह कोटा:-**

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश (सी.बी.आई.) क्रम संख्या 03 जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2014(51/2013) अंतर्गत धारा 302,307/34,307/120बी, 452/120बी आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2018 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (ए.टी.एस. एवं एस. ओ.जी.) की रिपोर्ट पर दिनांक 31.05.2023 को खुला बंदी शिविर कोटा से के.का.कोटा में जेल दाखिल किया गया, के कारण प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 529/2024 पदम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 18.11.2025 से निर्णय प्रतिपादित किया कि "In the considered opnion of this court the respondents are supposed to pass a reasoned and speaking order while deciding the applications submitted by the petitioners. With the aforesaid observation both the instant criminal writ petitions stand disposed of. The matter is remitted back to the authorities concerned to pass a fresh, reasoned and speaking order within a period of six weeks from the date of receipt of certified copy of this order. all pending applications, if any, also stand disposed of."

उक्त क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी.) के पत्र क्रमांक 38 दिनांक 30.05.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि "दिनांक 29.07.2010 को कामां, जिला भरतपुर में श्री खेमचन्द रोहिल्ला के मकान- नला बाजार, कामां, जिला भरतपुर पर इनके पड़ोसियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें श्री खेमचन्द एवं इनके पुत्र श्री गिरीराज रोहिल्ला की मौके पर मौत हो गई व राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री खेमचन्द, श्रीमती प्रमिला पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद व श्रीमती अंजू पत्नी श्री गिरीराज गम्भीर घायल हो गए थे। सी.बी.आई. द्वारा मुकदमा संख्या आर.सी. जे.ए.आई. 2011 (एस) 0014 अन्तर्गत धारा 120बी सहपठित धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 302 आई.पी.सी. में दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में दो अभियुक्त पदम व डालचन्द को सी.बी. आई. द्वारा गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा उम्रकैद की सजा से दण्डित किया गया। वर्तमान में खुल जेल में सजा काट रहे तथा दो अभियुक्त प्रवीण व परसराम अभी तक फरार हैं। इन पर सी.बी.आई. द्वारा 5-5 लाख रूपये का इनाम घोषित किया हुआ है तथा राजस्थान पुलिस द्वारा 50-50 हजार रूपये का इनाम घोषित किया हुआ है। आसूचना है कि उक्त दोनों फरार अभियुक्तगण प्रवीण व परसराम का सम्पर्क सजायाफ्ता अभियुक्तों पदम व डालचन्द से है व यह दोनों फरार अभियुक्तगण की मदद करते हैं। अतः इन अभियुक्तगण को खुली जेल के स्थान पर केन्द्रीय कारागार में रखा जाना उचित होगा।" इसी कारण से बंदी को दिनांक 31.05.2023 को खुला बंदी शिविर कोटा से के.का.कोटा में जेल दाखिल किया गया

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी पदम सिंह उर्फ पप्पी पुत्र रामसिंह** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

**2. दण्डित बंदी डालचन्द उर्फ बबलू पुत्र रामसिंह, केन्द्रीय कारागृह कोटाः-**

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश (सी.बी.आई.) क्रम संख्या 03 जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2014(51/2013) अंतर्गत धारा 302,307/34,307/120बी, 452/120बी आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2018 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के विरूद्ध 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन की धारा स्पष्ट होने हेतु प्रकरण अग्रेषित किया गया।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 523/2024 डालचन्द बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 18.11.2025 से निर्णय प्रतिपादित किया कि "In the considered opnion of this court the respondents are supposed to pass a reasoned and speaking order while deciding the applications submitted by the petitioners. With the aforesaid observation both the

instant criminal writ petitions stand disposed of. The matter is remitted back to the authorities concerned to pass a fresh, reasoned and speaking order within a period of six weeks from the date of receipt of certified copy of this order. all pending applications, if any, also stand disposed of. "

उक्त क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी.) के पत्र क्रमांक 38 दिनांक 30.05.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि "दिनांक 29.07.2010 को कामां, जिला भरतपुर में श्री खेमचन्द रोहिल्ला के मकान- नला बाजार, कामां, जिला भरतपुर पर इनके पड़ोसियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें श्री खेमचन्द एवं इनके पुत्र श्री गिरीराज रोहिल्ला की मौके पर मौत हो गई व राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री खेमचन्द, श्रीमती प्रमिला पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद व श्रीमती अंजू पत्नी श्री गिरीराज गम्भीर घायल हो गए थे। सी.बी.आई. द्वारा मुकदमा संख्या आर.सी. जे.ए.आई. 2011 (एस) 0014 अन्तर्गत धारा 120बी सहपठित धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 302 आई.पी.सी. में दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में दो अभियुक्त पदम व डालचन्द को सी.बी. आई. द्वारा गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा उम्रकैद की सजा से दण्डित किया गया। वर्तमान में खुली जेल में सजा काट रहे तथा दो अभियुक्त प्रवीण व परसराम अभी तक फरार हैं। इन पर सी.बी.आई. द्वारा 05-05 लाख रूपये का इनाम घोषित किया हुआ है तथा राजस्थान पुलिस द्वारा 50-50 हजार रूपये का इनाम घोषित किया हुआ है। आसूचना है कि उक्त दोनों फरार अभियुक्तगण प्रवीण व परसराम का सम्पर्क सजायाफ्ता अभियुक्तों पदम व डालचन्द से है व यह दोनों फरार अभियुक्तगण की मदद करते हैं। अतः इन अभियुक्तगण को खुली जेल के स्थान पर केन्द्रीय कारागार में रखा जाना उचित होगा।" इसी कारण से बंदी को दिनांक 31.05.2023 को खुला बंदी शिविर कोटा से केन्द्रीय कारागृह, कोटा में जेल दाखिल किया गया

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी डालचन्द उर्फ बबलू पुत्र रामसिंह** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अध्यक्ष** | **सदस्य** | **सदस्य** | **सदस्य** | **सदस्य** | **सदस्य** |
| महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर | अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर | महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर | शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर | मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर | उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर |

(ASHOK RATHORE)

## ।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

## :: दिनांक 26.11.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 26.11.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री पी.रामजी, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1002 प्रकरणों में से 23 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर दिनांक 07.10.2025 की बैठक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर अग्रेषित किये गये थे। जिनमें से 02 बंदी माननीय न्यायालय की पालना में जमानत पर रिहा हो गये है। शेष 21 प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर निर्णय लिया गया, का विवरण निम्न से है:-

1. **स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-**

| क्र.सं. | बंदी का नाम मय वल्दियत | वर्तमान कारागृह | वि.वि. |
|---|---|---|---|
| 1. | पवन कुमार पुत्र रामलाल | के.का. जोधपुर | - |
| 2. | नईम अख्तर उर्फ नईम राजा पुत्र मोहम्मद ऐसान | के.का.उदयपुर | - |
| 3. | कृष्णा हरिजन पुत्र घनश्याम बारेसा | के.का.उदयपुर | - |
| 4. | संजय कुमार उर्फ विक्की पुत्र भगवानसहाय | वि.के.का.श्यालावास | - |

2. <u>अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-</u>

| क्र.सं. | बंदी का नाम मय वल्दियत | वर्तमान कारागृह | निर्णय का कारण |
|---|---|---|---|
| 1. | कृष्ण उर्फ लादेन पुत्र हरचंद | के.का.अलवर | 02 अन्य प्रकरण अंतर्गत धारा 147,148,149,201,302,376डी, 366ए,354डी,376(2)एन,506 आई. पी.सी. में विचाराधीन (प्रोडक्शन वारंट पर) |
| 2. | भैरू उर्फ भैरू भील पुत्र धन्ना | के.का.उदयपुर | नियमित पैरोल से दिनांक 24.11.2021 से 25.11.2021 तक फरारशुदा। फरारी प्रकरण में सजा की जुर्माना राशि शेष। |
| 3. | दरबार सिंह पुत्र टकरार सिंह | के.का.जयपुर | 01 प्रकरण विचाराधीन प्रतिबंधित धारा 397, 460 आई. पी.सी. की जुर्माना एवज राशि शेष होने के कारण। |
| 4. | कालू पुत्र हुकिया | के.का.उदयपुर | पैरोल से दिनांक 15.11.2014 से 09.05.2023 तक फरारशुदा। |
| 5. | सुरेश पुत्र प्रहलाद | के.का.कोटा | पैरोल से दिनांक 02.11.2017 से 23.05.2022 तक फरारशुदा। |
| 6. | धर्मेन्द्र सिंह उर्फ राजु उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेम सिंह | के.का.बीकानेर | पैरोल से दिनांक 28.09.2010 से 10.02.2015 तक फरारशुदा। |
| 7. | सुनील पुत्र ईश्वर | के.का.बीकानेर | पैरोल से दिनांक 02.12.2006 से 06.03.2007 तक फरारशुदा। बंदी खुला शिविर से 01.11.2017 से 08.08.2020 तक फरारशुदा। |
| 8. | गिरधारी पुत्र पेफाराम | के.का.जयपुर | खुला बंदी शिविर से दिनांक 12.03.2023 से 13.07.2023 तक फरारशुदा। |
| 9. | रमेश पुत्र किशनलाल सिंधी | के.का.भरतपुर | दिनांक 22.05.1996 से 30.08. 2017 तक अंतरिम जमानत से फरारशुदा। |
| 10. | पप्पूराम पुत्र श्री देवाराम | के.का. जोधपुर | पैरोल से दिनांक 02.03.2007 से 10.05.2021 तक फरारशुदा। |
| 11. | भाणुनाथ पुत्र सावतनाथ उर्फ श्योपतनाथ | के.का.बीकानेर | प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. के जुर्माने की राशि जमा नही कराये जाने के कारण। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | प्रभुराम पुत्र श्री ओबाजी | के.का.जोधपुर | पैरोल से दिनांक 16.07.2019 से 15.12.2019 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण में अंतर्गत धारा 58ख राज. कारागार संशोधन अधिनियम 2015 में जमानत पर है। निर्णय होना शेष है। |
| 13. | सिकन्दर पुत्र लेडाराम | के.का. श्रीगंगानगर | खुला शिविर से दिनांक 13.04.2007 से 16.08.2023 तक फरारशुदा। |
| 14. | बनवारी पुत्र गणेश | के.का.बीकानेर | पैरोल से दिनांक 02.11.2014 से 18.11.2020 तक फरारशुदा। |
| 15. | विजय पुत्र रामपाल | के.का.जयपुर | खुला बंदी शिविर से दिनांक 22.06.2018 से 30.07.2023 तक फरारशुदा। |
| 16. | रमेश पुत्र हीरालाल | के.का.बीकानेर | बंदी खुला शिविर से दिनांक 01.05.2023 से 19.05.2023 तक फरारशुदा। |
| 17. | अमनदीप उर्फ गोलू उर्फ धोलू पुत्र राजेन्द्र उर्फ राजू | के.का.बीकानेर | 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (प्रोडक्शन वारंट) होने के कारण |

| अध्यक्ष | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य | सदस्य |
|---|---|---|---|---|---|
| महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर। | अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर। | महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर। | शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। | मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर। | उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। |

(अशोक राठौड़)

## ।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

## :: दिनांक 26.11.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 26.11.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री पी.रामजी, — सदस्य
   अति. महानिदेशक पुलिस,
   कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, — सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, — सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, — सदस्य
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, — सदस्य
   उप विधि परामर्शी,
   महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1002 प्रकरणों में से 286 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 46 प्रकरणो में बंदियों को अन्य प्रतिबंधित धारा में दण्डित एवं जेल दण्ड/फरारी जिसकी अवधि 02 वर्ष पूर्ण नही हुई है, प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर निर्णय लिया गया, का विवरण निम्न से है:-

1. **स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-**

| क्र.सं. | बंदी का नाम मय वल्दियत | वर्तमान कारागृह | वि.वि. |
|---|---|---|---|
| 1. | हाशम पुत्र छोटु | के.का.अजमेर | - |
| 2. | अनिल उर्फ भाया पुत्र चम्पालाल | के.का.जोधपुर | - |

**2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-**

| क्र.सं. | बंदी का नाम मय वल्दियत | वर्तमान कारागृह | निर्णय का कारण |
|---|---|---|---|
| 1. | भीकाराम पुत्र मीसाराम | के.का.अजमेर | दिनांक 23.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित। |
| 2. | रामभरोसी उर्फ पटेल पुत्र भगवती प्रसाद | के.का.जयपुर | बंदी द्वारा दिनांक 06.04.2025 को खुला बंदी शिविर सांगानेर पर तैनात प्रहरी को जान से मारने की धमकी दिये जाने पर पुलिस थाना–मालपुरा गेट पर एफ0आई0आर0 न. 148/2025 दर्ज करवाई गई उक्त कादाचार करने पर अंतर्गत धारा 126, 170 बी0ए0एस0 के तहत् जेल दाखिल होने पर। |
| 3. | राजेश उर्फ राजु पुत्र रामेश्वर | के.का.बीकानेर | दिनांक 21.06.2024 को शराब पीकर गाली गलोच करने के कदाचार के कारण बं.खु.शि. गोलूवाला हनमानगढ़ से जेल दाखिल होने पर। |
| 4. | दिलीप उर्फ विनोद पुत्र अच्छेलाल | के.का.बीकानेर | प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित। 05 अन्य प्रकरण विचाराधीन (03 में जमानत नही) |
| 5. | राजेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह | के.का.श्रीगंगानगर | दिनांक 10.04.2024 को बंदी खुला शिविर बेलासर से केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जेल दाखिल होने पर एवं 02 अन्य प्रकरण विचाराधीन (01 में जमानत नही) |
| 6. | रामकिशन उर्फ गोलिया पुत्र बनवारी | के.का.जयपुर | बंदी द्वारा दिनांक 06.04.2025 को खुला बंदी शिविर सांगानेर पर तैनात प्रहरी को जान से मारने की धमकी दिये जाने पर पुलिस थाना–मालपुरा गेट पर एफ0आई0आर0 न. 148/2025 दर्ज करवाई गई उक्त कादाचार करने पर अंतर्गत धारा 126, 170 बी0ए0एस0 के तहत् जेल दाखिल होने पर। |
| 7. | गफ्फार पुत्र श्री अयूब खां | के.का.जोधपुर | 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 में जमानत नही) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | मुकेश गोस्वामी पुत्र लक्ष्मण सिंह | उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर | 10 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (01 में जमानत नही) एवं पैरोल से फरार दिनांक 30.12.2019 से 10.01.2020 तक फरारशुदा। |
| 9. | विनोद पांचाल पुत्र नरोत्तमलाल | के.का.अलवर | 03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (02 में जमानत नही) |
| 10. | करणसिंह पुत्र श्री विजयसिंह | के.का.जोधपुर | 06 अन्य प्रकरणों मे विचाराधीन (05 में जमानत नही) |
| 11. | मदनसिंह पुत्र नरपत सिंह | के.का.अजमेर | 06 अन्य प्रकरण विचाराधीन (01 में जमानत नहीं) |
| 12. | कमलेश पुत्र सुखदेव | के.का.अजमेर | बंदी खुला शिविर से पैरोल अवधि के दौरान बंदी के विरूद्ध अन्य प्रकरण 399/2024 दर्ज होने पर दिनांक 17.06.2024 को जेल दाखिल करवाया गया। |
| 13. | लटूर पुत्र आन्नदीलाल | के.का.कोटा | बंदी द्वारा शराब का सेवन की पुष्टि होने पर कदाचार की श्रेणी में आने पर दिनांक 09.12.2023 को जेल दाखिल किया गया । |
| 14. | लाल सिंह पुत्र अर्जूनसिंह | के.का.जोधपुर | 14 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (13 में जमानत नही) एवं बंदी खुला शिविर से दिनांक 05.01.2002 से 11.04.2024 तक कुल 22 वर्ष फरारशुदा। |
| 15. | वीराराम उर्फ वीरमाराम पुत्र हुकमाराम | के.का.जोधपुर | दिनांक 12.05.2018 से 02.10.24 तक पैरोल से फरारशुदा एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) |
| 16. | इम्तियाज पुत्र रियाज एहमद | उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर | वर्तमान में बंदी के विरूद्ध 03 अन्य प्रकरण विचाराधीन है एवं पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी के विरूद्ध 16 प्रकरण दर्ज होने के कारण। बंदी हार्डकोर होने के कारण। |
| 17. | शैतान पुत्र खेमा वारिया | के.का.उदयपुर | 06 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही) एवं प्रतिबंधित धारा 395 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. | राजुराम पुत्र अर्जुनराम | के.का.बीकानेर | 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत पर) एवं दिनांक 17.03.2025 को बंदी खुला शिविर से बाहर जाकर आम लोगो से झगड़ा करने के कदाचार के कारण धारा 151 सीआरपीसी में जेल दाखिल किया। |
| 19. | ओमप्रकाश उर्फ ओमिया उर्फ पामन पुत्र रूपाराम | के.का.जोधपुर | 06 अन्य प्रकरणों मे विचाराधीन एवं पैरोल से दिनांक 15.04.2021 से 01.03.2022 तक फरारशुदा। |
| 20. | अमित पुत्र गोपाल सिंह | उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर | 03 अन्य न्यायिक प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नही), दिनांक 06.08.2024 को जेल दण्ड से दण्डित किया गया एवं पैरोल से दिनांक 30.03.2020 से 07.12.2023 तक फरारशुदा। |
| 21. | महिला बंदी राधा शुक्ला पत्नी कप्तान शुक्ला | म.बं.सु.उदयपुर | 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही) एवं प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित |
| 22. | खान बहादुर पुत्र मीर मोहम्मद | के.का.उदयपुर | 02 अन्य प्रकरण विचाराधीन (01 में जमानत नही) एवं दिनांक 27.08.2024 एवं 30.12.2024 को जेल दण्ड से दण्डित किया गया। |
| 23. | सीताराम उर्फ कागला पुत्र हरजी | वि.के.का. श्यालावास | प्रतिबन्धित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित 03 अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नही) |
| 24. | अजीत सिंह पुत्र रतन सिंह | के.का.जयपुर | 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही) |
| 25. | अजयपाल सिंह पुत्र जब्बर सिंह | उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर | 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नही) एवं पैरोल से दिनांक 13.01.2019 से 03.06.2023 तक फरारशुदा। |
| 26. | जयदेव पुत्र टेकचन्द | के.का.श्रीगंगानगर | 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) |
| 27. | अरविन्दसिंह पुत्र शैतान सिंह | के.का.जोधपुर | 05 अन्य प्रकरणों मे विचाराधीन (03 में जमानत नही) |
| 28. | मुकेश इसरानी उर्फ मुक्का पुत्र मिर्चूलाल | उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर | 02 अन्य प्रकरणों मे विचाराधीन (जमानत नही) एवं दिनांक 20.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. | शंकरलाल माली पुत्र पन्नालाल | के.का.उदयपुर | 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही) |
| 30. | महावीर पुत्र शंकरलाल | के.का.उदयपुर | 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही) |
| 31. | बनवारी पुत्र ठाकरराम | वि.के.का. श्यालावास | 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही) एवं दिनांक 09.04.2025 को जेल दण्ड से दण्डित। |
| 32. | सुनील लोट उर्फ बन्टी लोट पुत्र स्व. शम्भुलाल लोट | जि.का.टोंक | 07 अन्य प्रकरण विचाराधीन (06 में जमानत नहीं) |
| 33. | सिराज अहमद पुत्र रियाज अहमद | उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर | वर्तमान में बंदी के विरूद्ध 03 अन्य प्रकरण विचाराधीन है एवं पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी के विरूद्ध 27 प्रकरण दर्ज होने के कारण एवं बंदी हार्डकोर होने के कारण। |
| 34. | मुबारक पुत्र हाजी हमीर | के.का.जोधपुर | विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आजीवन कठोर कारावास से दण्डित |
| 35. | शोभाराम पुत्र दीपाराम | के.का.जोधपुर | 10 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (03 में जमानत नहीं) |
| 36. | विकास उर्फ भरत्या पुत्र कन्हैया लाल | के.का.अलवर | 03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) |
| 37. | इब्रा उर्फ इबरान पुत्र ममरेज | के.का.अलवर | 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) |
| 38. | राजू पुत्र मौहम्मद दिलावर | के.का.अलवर | बंदी खला शिविर से दिनांक 03.05. 2024 से 30.04.2025 तक फरारशुदा एवं 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) |
| 39. | सताराम पुत्र भीयाराम | के.का.जोधपुर | 07 अन्य प्रकरणों मे विचाराधीन (05 में जमानत नहीं) |
| 40. | कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र भंवरलाल जाटव | के.का.कोटा | 02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) एवं दिनांक 23.04. 2025 को जेल दण्ड से दण्डित। |
| 41. | रूपा पुत्र कमजी | के.का.उदयपुर | 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही) |
| 42. | विशाल पुत्र धर्मपाल | के.का.अलवर | 05 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) |
| 43. | गिरिश उर्फ गोपाल पुत्र हंसराज | के.का.कोटा | 03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (02 में जमानत नहीं) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44. | सुरमाराम पुत्र भुताराम | के.का.जोधपुर | 06 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (04 में जमानत नहीं) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अध्यक्ष** | **सदस्य** | **सदस्य** | **सदस्य** | **सदस्य** | **सदस्य** |
| महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर। | अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर। | महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर। | शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। | मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर। | उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। |

(ASHOK RATHORE)